Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका

Ragini Agrawal, Ph. D
Associate Professor, Department of Economic, K R Girls (P.G.) College, Mathura, U.P.

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तुत लेख में शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका की विश्लेषणात्मक विवेचना प्रैतुत की गई है। जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ, लभार्थियों को प्राप्त होने में प्रमुख बाधा है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं जैसे प्रार्थना–पत्रों के प्रेषण, लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिला उद्योग केन्द्रों का ही दायित्व होता है। निःसन्देह, किसी भी जनहित कार्यक्रम की प्रगति, उसकी लोकप्रियता पर आधारित होती है। लोकप्रियता का मुख्य आधार, उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सार्थकता पर आधारित होता है। इस सार्थकता का आरंभिक स्तर पर मूल्यांकन करना; कार्यक्रम के लिए चयनित समग्र की सार्थकता पर आश्रित होता है। अतः स्वतः रोजगार योजना के इस कार्यक्रम की सार्थकता का मापन तथा परिकलन योजना के निमित्त (1) प्रार्थना–पत्रों के प्रेषण, (2) चयन प्रक्रिया की परिशुद्धता (3) लाभार्थियों के चयन; तीनों पर निर्भर करता है।

<u>अभ्यर्थियों (लाभान्वितों) की चयन प्रक्रिया/विधि</u> :

किसी भी अध्ययन में विशेषकर विकास योजना सम्बन्धी अध्ययनों में अभ्यर्थियों का उचित चयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अभ्यर्थियों के चयन विधि का योजना की सफलता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है क्योंकि यदि समग्र में दोषपूर्ण रीति से अभ्यर्थियों का चयन हो जाय तो सम्पूर्ण योजना में कमी (दोष) आ जायेगी। अतः चयन विधि की प्रभावशीलता के दृष्टिकोण से भी योजना का मूल्यांकन किया गया है।

<u>चयन प्रक्रिया : पंजीकरण, समिति, संगठन एवं प्रकार्य</u> :

यह निर्विवाद रूप से सर्वस्वीकार्य तथ्य है कि स्वरोजगारों की स्थापनाओं में शासकीय संस्थाओं की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। शोधार्थी ने यह अनुभव किया है कि विशेषतः युवकों के लिए शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन के लिए निर्मित स्वतः रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन में जहाँ दो आधारभूत ाासकीय संस्थाएं जिला उद्योग केन्द्र तथा राष्ट्रीयकृत ब्यावसायिक (अग्रणी) बैंक अहम भूमिकाएं निभाती हैं; वहीं सहायक भूमिका के रूप में ''जिला नियोजन केन्द्र'' ऐम्प्लाइमेण्ट ऐक्सचेन्ज सहायतार्थ कार्य करता है। लेकिन इसकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उतनी नहीं जितनी कि जिला

उद्योग केन्द्रों तथा अग्रणी बैंकों की होती है। इस योजनान्तर्गत लाभान्विन्तों का ''जिला नियोजन केन्द्र'' पर पंजीकृत होना आवश्यक तथा अनिवार्य शर्त है। जिला उद्योग केन्द्र प्रायः ाासन द्वारा अद्यतन प्रभावी निर्देशिका के परिनियमों के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन में उ़द्योग, सेवा तथा व्यवसाय हेतु आवेदन पत्रों को वर्गीकृत करते हैं। जिसमें ाासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का भी ध्यान पूर्णतः रखते हैं। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत योजनाओं की 30 प्रतिशत योजनाओं की सीटें अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों के शिक्षित वेरोजगार युवकों के लिए आरक्षित हैं। यहाँ तक कि उद्यमों के वर्गीकरण के अनुसार उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय में पृथक–पृथक स्तरों पर 30 प्रतिशत योजनाओं के आरक्षित होने के स्थान पर तीनों प्रकार की कुल योजनाओं का 30 प्रतिशत अंश इस आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित एवं सुरक्षित करते हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तीनों उद्यमों में आरक्षितों की प्रतिशतता भिन्न–भिन्न हो सकती है लेकिन 30 प्रतिशत आरक्षण (कुल) अवश्य सुनिश्चित करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र प्रायः निम्न कार्य भी करते हैं–

(1) आवेदन कर्ताओं को चुने जाने वाली पूरक योजनाएं निर्मित करना।

(2) यह भी सुनिश्चित करता है कि परिवार का केवल एक ही अभ्यर्थी स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सके।

(3) शासन के लक्ष्यानुसार सुनिश्चितीकरण प्रपत्रों को अग्रसारित करके आवेदकों के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों (आई0टी0आई0 अथवा पॉलिटैक्निक संस्थाओं) तक पहुॅचाना।

(4) जिला विकास अभिकरण द्वारा जनपद स्तरों पर गठित टास्क फोर्स समिति/कार्यकारी दल द्वारा आवेदन कर्ताओं के किये जाने वाले साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन में सहायता प्रदान करना एवं टास्क फोर्स के निम्नांकित सदस्यों को साक्षात्कार की तिथि, दिनांक आदि के बारे में समयानुसार सूचित करना। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सचेतन–प्रक्रिया का कार्यान्वयन जनपद स्तरों पर अलग–अलग क्षेत्रों के स्तरों पर किया जाता है। यथा–उद्योग, रोजगार, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत उद्यम के चयन की सचेतन प्रक्रिया अपनायी जाती है। इससे सम्बन्धित मासिक सूचना, तत्सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों को भेजी जाती है, और प्रगति आख्या की यह मासिक सत्यताएं जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा 'विकास आयुक्त' को प्रेषित की जाती हैं। इसी प्रकार से उद्यम, रोजगार, व्यापार इत्यादि सभी क्षेत्रों में पृथक–पृथक सूचनाएं निर्गत की जाती हैं, तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से अग्रसारित करके विकास आयुक्त तक पहुॅचायी जाती हैं।

प्रस्तुत मॉडल के अनुसार स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत जिन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता है उनके द्वारा चुने गये उद्यम के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्रों का ही होता है। जहाँ तक यंत्रों, उपकरणों तथा संयंत्रों को उपलब्ध

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कराने का प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और प्रान्तीय इकाईयों द्वारा प्रदान कराए जाते हैं। भूमि, यंत्र, उपकरण, संयन्त्र तथा शेड आदि के लिए जो ऋण की किस्तें प्रदान की जाती हैं, वे सम्पूर्ण पूंजी का प्रारूप होती हैं।

जिला उद्योग केन्द्र की भूमिकाएं ''मॉडल'' रूप में

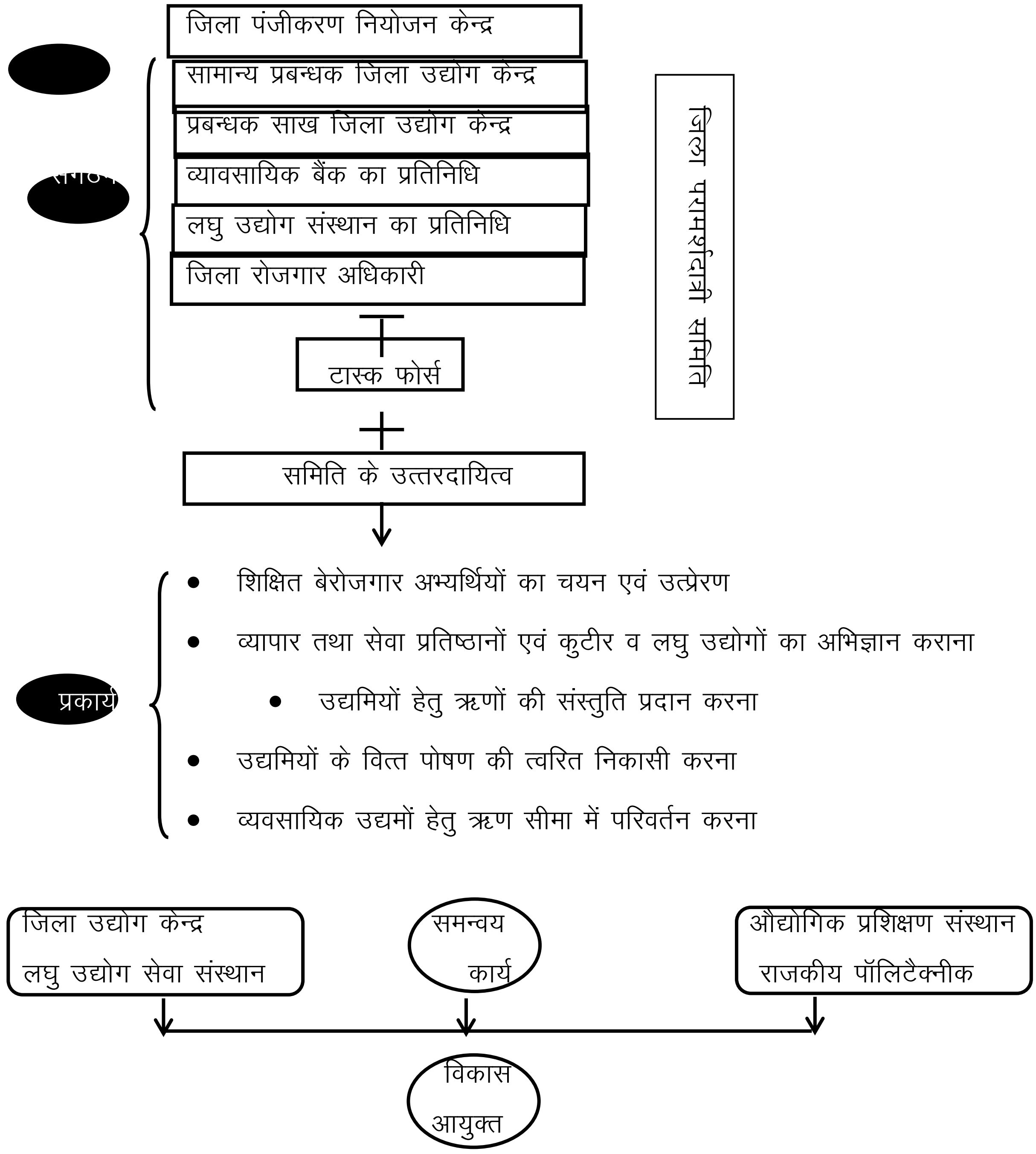

<u>**सचेतन प्रक्रिया**</u> :

विकास आयुक्त कार्यालय से यह मासिक सूचनाएं, परामर्शदात्री समिति (टास्क फोर्स) के पास पुनरावलोकन के लिए प्रेषित की जाती हैं, जिसका चेयरमैन ''जिला अधिकारी'' होता है। इस समिति की बैठक महीने में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। इस बैठक से पूर्व विकास आयुक्त के पास प्रत्येक महीने की 10 तारीख से पूर्व ही जिला उाद्योग केन्द्र के प्रबन्धक द्वारा मासिक सूचना अनिवार्यतः प्रेषित की जाती है।

इस स्वतःरोजगार योजना जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिकाओं के दो प्रमुख धरातल (1) प्रशिक्षण सम्बन्धी (2) लाभांश प्रदान कराना होते हैं जिसमें–

(क) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने में भूमिका–निर्वहन करना

(ख) लाभार्थियों को लाभांश प्रदान कराना तथा ऋणों की अदायगी में सहायता प्रदान करना।

<u>**प्रशिक्षण प्रदान करना**</u> :

सचेतन प्रक्रिया के उपरान्त प्रशिक्षण प्रक्रिया आती है जिसके तहत जिला नियोजन केन्द्र पर पँजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों से शासन के नियमों व निर्देशों का परिपालन करते हुए पूर्व–निर्धारित लक्ष्यानुसार तथा आवश्यकता के अनुरूप लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन–पत्रों में से लाटरी पद्धति से अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, तदुपरान्त आरक्षण ब्यवस्था पर ध्यान आकर्षित रखते हुए चयनितों की सूची निर्मित की जाती है। तत्पश्चात चयनितों की यह सूची ''टास्क फोर्स समिति'' को अग्रसरित की जाती है। यह समिति अपनी संस्तुति ''जिला परामर्श दात्री समिति'' को उनके उपरोक्त वर्णित उत्तरदायित्वों–

(1) शिक्षित वेरोजगार उद्यमियों का चयन एवं उत्प्रेरण

(2) व्यापार व सेवा प्रतिष्ठानों एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों की जानकारी देना

(3) वाँच्छित उद्यमों हेतु ऋणों की संस्तुति प्रदान करना

(4) वित्त पोषण की राष्ट्रीयकृत ब्यावसायिक बैंकों से त्वरित निकासी कराना।

यहाँ से अभ्यर्थियों/लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए जिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा राजकीय पॉलिटेक्निक के पास भेज दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर जिला उद्योग केन्द्र वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण की व्यवस्था पूर्व स्वीकृति के अनुरूप करता है।

<u>**ब्याज दर संरचना एवं ऋणों की अदायगी की पद्धति (तरीका)**</u> :

स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत संयुक्त ऋण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा चयनित उद्योग के क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर शासन की ओर से निर्धारित भिन्न–भिन्न ब्याज दरें निर्धारित हैं। विशिष्ट पिछडे क्षेत्रों में स्थापित यह ब्याज की दरें औद्योगिक उद्यमों पर 10 प्रतिशत वार्षिक तथा शेष अन्य

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

क्षेत्रान्तर्गत स्थापित उद्यमों पर यह दर 12 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। जिसका परिपालन लाभान्वितों को करना पड़ता है। ऋणों की अदायगी का समय शासन स्तर से अधिकतम 7 वर्ष निर्धारित किया हुआ है तथा इसे विभिन्न किस्तों में बांटा जाता है। ये किस्तें ऋण प्राप्ति के महीनेां से लेकर 18 महीने के मध्य कभी भी आरम्भ की जा सकती हैं। जहाँ तक लिए गए ऋण की वसूली का सम्बन्ध है, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तत्सम्बन्धित राष्ट्रीयकृत ब्यावसायिक बैंकों का होता है। बैंक प्रबन्धक को यह अधिकार होता है कि वे लाभान्वितों की परिस्थितियों के अनुरूप उनको प्रदत्त ऋण की वसूली करें।

प्रशिक्षण प्रक्रिया :

सामान्यतः ऐसे शिक्षित वेरोजगार युवक–युवती जिन्हें हिसाब–किताब रखने (लेखा तथा वित्तीय प्रबन्धन) का ज्ञान होता है उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, परन्तु ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवक जिन्हें लेखा जोखा, उपकरणों के चयन एवं उनके प्रयोग का ज्ञान नहीं होता है उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता अवश्य होती है। ऐसे युवकों के लिए राज्य सरकार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय पालिटेक्निक संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें जिला उद्योग केन्द्र और लघु उद्योग सेवा संस्थान आपस में सहयोग तथा समन्वय करते हुए औधोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन, समन्वय स्थापित करते हुए करते हैं।

शिक्षित बेरोजगारी उन्मूलन की स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत, जिन अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करा दिया जाता है तब उनके द्वारा चुने गये उद्यम की स्थापना के लिए व्यवस्था कराने का दायित्व राज्य सरकार के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्रों का होता है। जहाँ तक उद्यम/व्यवसाय सेवा हेतु यंत्रो, उपकरणों को उपलब्ध कराने का प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और प्रान्तीय इकाइयों द्वारा प्रदान कराये जाते हैं। भूमि, यंत्र, संयत्र, शेड आदि के लिए जो ऋण की किस्तें प्रदान की जाती हैं, वे सम्पूर्ण पूँजी का प्रारूप होती हैं।

ऋण प्रक्रिया में विलम्ब होने के दो स्थल–जिला उद्योग केन्द्र तथा राष्ट्रीयकृत ब्यावसायिक बैंकें हैं, जो विभिन्न कारणों की आढ़ में लाभान्वितों का आर्थिक शोषण सुविधा शुल्क रूप में करती हैं। ऋण प्रक्रिया में विलम्ब के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं–

(1) सुविधा शुल्क न देने के कारण विलम्ब करना

(2) आवेदन/अभ्यर्थन में त्रुटि या अपूर्ण रह जाने के कारण

(3) प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार न करना/विलम्ब करना

(4) अकारण परेशान करना

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऋण स्वीकृत करने के पश्चात् आवेदन–पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित सम्बन्धित राष्ट्रीयकृत ब्यावसायिक बैंक को प्रेषित कर दिया जाता है, परन्तु इस प्रक्रिया में समय सापेक्ष

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लाभान्वितों को ऋण प्राप्त करने में समय प्रायः अधिक लग जाता है। सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार करते समय लगभग 86 प्रतिशत लाभान्वितों ने बताया कि ऋण स्वीकृत होने के बाद; ऋण प्राप्त होने तक लगभग ''एक माह से सात माह तक'' लग जाते हैं, किन्तु अधिकांशतः लाभान्वितों द्वारा बताया गया है कि ऋण प्राप्त करने में कम से कम पॉच माह का विलम्ब तो निश्चित रूप से होता ही है। ऋण प्राप्त करने में कम समय लगे, इसलिए लाभार्थी स्वयं ही सुविधा शुल्क देते हैं, ऐसा भी सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है। इस प्रकार आर्थिक भ्रष्टाचार जनित करने में लाभार्थी भी दोषी हैं।

संदर्भ

सक्सेना सुधीर (2005) 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अलीगढ़ जिला के मूल्याँकन के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन, पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध, ए.एम.यू. अलीगढ़, सरस्वती प्रकाशन, अचल ताल, अलीगढ़

सिंह एस0बी0 (2002) स्वतः रोजगार योजना का मूल्याँकन (उ0प्र0) फिरोजाबाद के विशेष सन्दर्भ में एक आर्थिक विश्ले ाण, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

सेम्युअल स्टाउफर (2002) दि डिजायन ऑफ सोसल रिसर्च इन सोसल वर्क रिसर्च, द फ्री प्रेस, ग्लेन्को

सेल्टिज जहोदा एण्ड कुक(1963) रिसर्च मैथड्स इन सोसल रिलेसन्स, रिनेहार्ट एण्ड विन्स्टन प्रेस, हॉल्ट, न्यूयार्क

सिंह एस0डी0 (1985) वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म0प्र0)

सिन्हा पी0आर0 (1991) अनुसन्धान के मूल तत्व, सरस्वती प्रकाशन दरभंगा बिहार

सेन अमर्त्य (1975) एम्प्लायमेण्ट टेक्नोलॉजी एण्ड डवलपमेण्ट, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies